राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या—2221 / 2015 / अजमेर
2.अपील संख्या—2222 / 2015 / अजमेर
3.अपील संख्या—2223 / 2015 / अजमेर

मैसर्स एटलस कॉपको इण्डिया लिमिटेड
अजमेर ... अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर ..प्रत्यर्थी

4.अपील संख्या—705 / 2016 / अजमेर
5.अपील संख्या—706 / 2016 / अजमेर
6.अपील संख्या—707 / 2016 / अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर ... अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एटलस कॉपको इण्डिया लिमिटेड
अजमेर ..प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अरिन्जय जैन
अभिभाषक ... अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक .प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक :.05.04.2017

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपील संख्या एक से तीन तक एवं अपील संख्या चार से छै तक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा व पट्टा कर, अजमेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 278 / वैट / 2014—15 / विजयनगर, अपील संख्या 56 व 172 / वैट / 2015—16 / विजयनगर में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 06.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होनें, "निर्धारण अधिकारी" द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55 व 61(1) के तहत् कमशः निर्धारण वर्ष 2012—13, 2013—14 व 2014—15 के लिये पारित पृथक्—पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2015, 28.04.2015 व 15.09.2015 को पारित कर निम्न तालिकानुसार कायम कर, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत् कर की दोगुना शास्तियॉ आरोपित की हैं, में से कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर एवं ब्याज को

यथावत रखे जाने के विरूद्ध एवं शास्तियॉ अपास्त किये जाने के विरूद्ध विभाग की ओर से उपरोक्त अपीलें प्रस्तुत की गई हैं :–

अपील संख्या	निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
2221/15	2012–13	18,71,548/–	3,75,158/–	33,46,420/–
2222/15	2013–14	1,86,95,276/–	30,82,733/–	3,73,90,552/–
2223/15	2014–15	98,85,868/–	15,18,469/–	1,97,71,736/–

चूंकि सभी छः अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु एक समान हैं अतः तीनों अपीलों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 का वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट–10 ए दिनांक 21.04.2014 को प्रस्तुत किया गया था जिसके कॉलम संख्या 2.3(b)(other not liable to tax) में रू. 1,19,51,536/– की राशि दर्शायी गयी थी जिसका "Consumable goods used in work contract" बताते हुये not liable to tax under VAT के कॉलम में बताया गया था। दिनांक 16.10.2014 को वृत्त ब्यावर के सहायक आयुक्त द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया एवम् जांच की गयी। जांच में पाया कि अपीलार्थी को मैसर्स Hindustan ZinC Ltd. Udaipur(HZL) से maintainence and repair of machine के लिये work contract प्राप्त है। repair and maintainence contract के लिये प्राप्त हुये agreement के अध्ययन पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि HZL की drill machines जो Atlas Copco. Ltd. Sweden से खरीद की गयी है उसका रखरखाव का कार्य स्वीडन की सब्सीडरी भारतीय कम्पनी Atlas Copco India द्वारा किया जायेगा जिसका कार्यादेश का अनुबंध किया हुआ था। HZL राज्य में विभिन्न खानों से जिंक एवम् अन्य मेटल के खनन कार्य करती है जिसके लिये ड्रिल मशीनों का उपयोग होता है। कार्यादेश के अनुसार drill machine जो HZL की सम्पति है एवम् उनके द्वारा ही ड्रिलिंग कार्य हेतु operate की जाती है। Drilling कार्य के उपयोग के दौरान मशीन की मरम्मत का कार्य अपीलार्थी फर्म द्वारा किया जाना था। सर्वेक्षण के पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त reparing and maintainence

contract में मशीनों के रखरखाव में स्पेयर पार्ट्स के रूप में माल का अन्तरण होने से अधिनियम की धारा 2(35)(ii) के तहत् माल का विक्रय है जबकि अपीलार्थी द्वारा विवरण प्रपत्रों में consumable goods बताकर कर देयता से मुक्ति प्राप्त कर करवंचना की है अतः अधिनियम की धारा 61 के तहत् यह कृत्य शास्ति योग्य भी है। इसी आधार पर अभियोग दर्ज होने पर उपायुक्त (प्रशासन) अजमेर द्वारा अधिनियम की धारा 37(4) के तहत् प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्रावली निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित की गयी। निर्धारण अधिकारी द्वारा अलग–अलग नोटिस जारी कर निर्धारण वर्ष 2012–13 2013–14 व 2014–15 में अपीलार्थी को Work contract से प्राप्त प्राप्तियों पर 14 प्रतिशत से करारोपण करने एवम् कर दायित्व को जानबूझकर विवरण प्रपत्रों में त्रुटिपूर्ण बताने के कारण अधिनियम की धारा 61 के तहत् कर की दोगुना शास्ति आरोपण की कार्यवाही भी प्रस्तावित की गयी । निर्धारण वर्ष 2012–13 में रू. 1,19,51,536 / – का माल जो consumable दर्शाया गया है था उसे अपीलार्थी का विक्रय माना गया एवम् जवाब अस्वीकार कर, कर व ब्याज तथा शास्ति आरोपित की गयी । निर्धारण वर्ष 2013–14 में इसी तरह repair maintainence के लिये अन्तरित माल रू.99931705 / – पर करारोपण किया गया है एवम् इस वर्ष में इसके अलावा रू.30027743 / – का माल free of cost में HZL को दिया जाना घोषित किया था परन्तु free of cost माल देने का अनुबंध अस्तित्व में नहीं होने से इस माल पर भी कर, ब्याज एवम् धारा 61 के तहत् शास्ति आरोपित की गयी । वर्ष 2013–14 में रू.32,52,946 / – की खरीद को वैट–07ए में नहीं दर्शाने एवम् विक्रय नहीं बताने से उस पर भी रू.5,00,953 / – का कर आरोपित किया गया एवम् शास्ति धारा 61 के तहत् आरोपित की गयी एवम् ब्याज भी आरोपित किया गया। वर्ष 2014–15 (दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014) तक की अवधि में भी इसी तरह कार्य संविदा में प्रयुक्त माल रू.5,83,29,119 एवम् free of cost घोषित माल रू. 1,22,84,223 / – को माल का विक्रय 2(35) के तहत् होना अवधारित कर करारोपण किया गया एवम् धारा 61 के तहत् शास्ति आरोपित की गयी व कर जमा नहीं होने पर ब्याज भी आरोपित किया गया।

निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार से आरोपित कर,ब्याज एवं शास्तियों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होनें उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। कर एवं ब्याज यथावत रखे जाने के

क्षुब्ध होकर अपीलार्थी की ओर से एवं शास्ति अपास्त किये जाने के विरूद्ध विभाग की आरे से उपरोक्त अपीलें प्रस्तत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की किस धारा में आदेश पारित करना चाहते हैं निश्चय नहीं कर पाये हैं एवम् आदेश को धारा 23 व 24 दोनों में पारित किया है जबकि धारा 23 डीम्ड स्कीम में आदेश है तब उन्हें प्रस्तुत विवरण प्रपत्रों के अनुसार आदेश पारित करना चाहिये था। इस तरह गलत धारा में पारित आदेश अविधिक होने से अपास्त करने का अनुरोध किया। उनका कथन है कि कर निर्धारण आदेश के कॉलम संख्या 4 में ''किताबें जो प्रस्तुत की गयी'' उसमें ''वैट 10ए एवम् **agreement"** लिखा है जो पर्णूतया गलत है क्योंकि वैट 10ए एवम् अनुबंध बहियात का हिस्सा नहीं है। उनका कथन है कि आदेश में सुनवाई दिनांक नहीं लिखी जाने का उल्लेख भी किया एवम् ध्यान आकर्षित किया कि कर निर्धारण आदेश में सर्वेक्षण दिनांक 17.09.2014 बताया जो कि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह दिनांक 16.10.2014 थी एवम् वैट 10ए को त्रुटिपूर्ण बताया तथा ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 को किये जाने का उल्लेख करना भी गलत बताया तथा कथन किया कि फर्म की ऑडिट नहीं की गयी है। उन्होंने सर्वे के पश्चात् अपीलार्थी की पत्रावली वृत्त ब्यावर से कार्य संविदा व पट्टा कर, वृत्त–अजमेर को स्थानांतरित करना भी अविधिक बताया। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वैट 14 में जारी नोटिस को भी अविधिक बताते हुये कथन किया कि यह अपंजीकृत व्यवहारियों के लिये विहित प्रोफार्मा है। अतः जारी नोटिस अविधिक है। उन्होंने सम्पूर्ण माल पर करारोपण 14 प्रतिशत की दर से करने को गलत बताते हुये कथन किया कि समस्त माल पर 14 प्रतिशत की कर दर कैसे लागू की गयी है, यह स्पष्ट नहीं है।

अधिकृत प्रतिनिधि श्री जैन ने बताया कि अपीलार्थी फर्म की मूल (parent) कम्पनी Atlas Copco स्वीडन में स्थित है तथा सब्सीडरी के रूप में भारत में अपीलार्थी कम्पनी Atlas Copco India के रूप में पंजीकृत है। यह कम्पनी स्वीडन की कम्पनी के उत्पादित मशीनों के ऑर्डर प्राप्त करती है एवम् बिकित ड्रिल मशीनों को repair and maintainence का कार्य स्वयम् अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाता है। अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि repair and maintainence में free of cost पार्टस दिये जाते हैं क्योंकि ड्रिल मशीन के विक्रय के पश्चात् वारंटी पीरियड में पार्टस देने का अनुबंध है। उन्होनें बताया कि कम्पनी की HZL के साथ दो तरह की संविदा है जिसमें एक supply of spare parts of machines एवम् repair and maintainence का अनुबंध भी है। इस संबंध में कथन किया कि repair

and maintainence of machines के मामले में सर्विस चार्ज प्रति घंटा अथवा प्रति मीटर मशीन के उपयोग के आधार पर लिया जाता है। अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि वे ड्रिलिंग के लिये सर्विस चार्ज लेते हैं व ड्रिलिंग के लिये tool दिये जाते हैं इसके अलावा hammer, hause pipes , lubricants आदि भी उपयोग में आते हैं। अधिकृत प्रतिनिधि ने उक्त तर्क मौखिक रूप से पेश किये एवम् दोनों तरह के अनुबंधों की प्रतियां प्रस्तुत की जिसमें स्पेयर पार्ट सप्लायी कॉन्ट्रेक्ट एवम् रिपेयर एवम् मेन्टेनैन्स कॉन्ट्रेक्ट दिनांक 24.01.2013 सम्मिलित है जिसमें स्पेयर पार्ट्स की सप्लायी एवम् रिपेयर मेन्टेनैन्स का कॉन्ट्रेक्ट किया हुआ है।

विद्वान अभिभाषक ने ने अनुबंधों के आधार पर मूल रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा repair and maintainence के दौरान जो माल लगाया जाता है वह consumable है एवम् सप्लायी FOC (free of cost) है एवम् मशीनों के कार्य अनुसार प्रतिमीटर या प्रति घंटे के कार्य अनुसार सर्विस चार्ज लिया जाता है । उन्होनें उक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी कि संविदा एवम् पट्टा कर वृत्त का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा यह भी कथन किया कि वर्ष 2014–15 में दो तिमाहियों का ही कर निर्धारण किया गया जबकि चारों तिमाही अर्थात् निर्धारण वर्ष समाप्त हो चुका था।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति का अरोपण उसी दशा में दिया जा सकता है जब उसके द्वारा किये गये संव्यवहारों को छुपाया गया है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरणों में यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी द्वारा किये गये समस्त संव्यवहार बहियात में दर्ज है एवं विवरण पत्रों में भी दर्शाये हुये हैं एवं किसी तरह कोई संव्यवहार छुपाने का कार्य नहीं किया है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधीनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो पूर्णतः उचित है।

उन्होंने उक्त तर्को के आधार पर शास्ति के बिन्दु पर अपलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संविदा कार्य में अन्तरित माल को कन्ज्यूमेबल गुड्स घोषित कर तिमाही रिटर्न वैट–10 में जानबूझकर त्रुटिपूर्ण घोषणा कर करापंवचन किया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक रूप से अधिनियम की धारा 61 (1) के अन्तर्गत कर की दो गुनी

शास्तियॉ उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित की है, जिनको अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया गया है। उन्होंने कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी को यथावत रखने एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गया, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि सर्वे के पश्चाच अपीलार्थी की पत्रावली वृत ब्यावर से कार्य संविदा व पटटा कर, वृत–अजमेर को स्थानान्तरित करना अविधिक है। इस सम्बन्ध में विचार किया गया और पाया गया कि आदेश में धारा 23 व 24 दोनों का उल्लेख करना, एवम् सर्वे की दिनांक गलत दर्शाना एवम् बहियात की सूचि में वैट–10ए दर्शाना त्रुटिपूर्ण है। परन्तु इससे पारित निर्धारण आदेश की विधिकता समाप्त नहीं होती क्योंकि सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों एवम् दस्तावेजों में रिकॉर्ड अनुबंध के आधार पर विचार कर आदेश पारित किया गया है एवम् धारा 24 का उल्लेख आदेश में किया गया है। अधिकृत प्रतिनिधि की उठायी गयी यह आपत्ति भी निरस्त योग्य है कि कर निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार नहीं था। अधिनियम की धारा 37(4) के तहत् उपायुक्त (प्रशासन) अजमेर को प्राप्त अधिकार के अनुरूप आदेश कर सर्वेक्षण अधिकारी से पत्रावली संविदा कर वृत्त को विधिक रूप से स्थानांतरित की गयी है। अतः उक्त उठायी आपत्ति भी खारिज की जाती है।

हस्तगत प्रकरणों में मूल रूप से दो बिन्दुओं पर पूर्ण विवाद आधारित है:–

1. कि अपीलार्थी को HZL से प्राप्त कार्य संविदा repair and maintanence of Drill machine के कार्य में प्रयुक्त किये गये स्पेयर पाट् एव अन्य सामान क्या consumable है ?
2. कि अपीलार्थी द्वारा जो माल free of cost देना बताया है वह किस आधार पर free of cost है ? एवम् क्या ऐसा कोई अनुबंध या वारन्टी है ?

उक्त दोनों बिन्दुओं के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा का यह तर्क दिया जाना कि हिन्दुस्तान जिंक लि.(HZL) की drill मशीनों से drilling कार्य करने का अनुबंध होने से मशीनों के लिये प्रयुक्त किये गये स्पेयर पार्टस् कन्जूमेबल पार्ट होने से इस पर करारोपण नहीं किया जा सकता है, उचित नहीं है क्योंकि अपीलार्थी की ओर से वर्ष 12–13 के लिये जारी नोटिस का जो जवाब दिनांक 13.03.2015 को प्रस्तुत किया गया था उसमें यह उल्लेख है कि "हमारे द्वारा संविदा में एवार्डर (HZL) के खनन् क्षेत्र में मात्र ड्रिलिंग का कार्य ही निष्पादित किया जाता है जिसमें मशीन के पाट्र्स हमारे ही लगते हैं उसकी एवज में अवार्डर

द्वारा लागत per meter दिया जाता है। कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की सम्पति का स्थानान्तरण नहीं किया जाता है एवम् कानुनी प्रावधान अनुसार कार्य में consume किये गये सामान पर किसी प्रकार की कोई कर देयता नहीं बनती है।" इस सम्बन्ध में पत्रावली के पेज संख 27 पर उपलब्ध अनुबन्ध दस्तावेज संख्या 5100011897 की उपलब्ध है,जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त दस्तावेजों HZL एवं अपीलार्थी कम्पनी Atlas Copco India ltd. (ACCMs/Service provider) के बीच अनुबंध का अध्ययन करने पर पूर्णतया स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की मूल कम्पनी Atlas Copco स्वीडन की है एवम् ACCMS एक सबसीडरी है जो स्वीडन की कम्पनी द्वारा (HZL) को बेची गई ड्रिल मशीन को repair and maintainence का after sale service का कार्य करेगी और उसी अनुसरण में यह संविदा की गई है कि– "ड्रिल मशीन का repair and maintainence कार्य एक अनुबंध के तहत करेगी। इस तरह यह purely ACCMS एवम् HZL के बीच का करार है। इस करार के definition part में मशीन के maintainence charges को article 29 के अनुसार देने का उल्लेख है। अनुबंध में क्लॉज 29.1(B) में स्पष्ट उल्लेख है कि above maintainence charges are inclusive including value of parts used for maintainence of the drills, RDT for operation, lubricant and Services.

इस अनुबंध के कॉलम 5 में Scope of work दर्ज है। 5.1– ACCMS shall maintain the Drill machine specified in schedule 1 of this agreement Schedule 1 में मशीन FlexiRoc D65 अंकित है Schedule 3 में repair and maintainence में स्पष्ट दर्ज है (1) Cost of all spare parts consumables, lubricant, filters to maintain the drill machines.

उक्त से स्पष्ट है कि इस तरह अपीलार्थी का अनुबन्ध केवल मात्र मूल कम्पनी द्वारा सप्लाई की गई मशीनों की रिपेयरिंग एवं मैन्टेनेन्स का था। रिपेयरिंग एवम् मेन्टनेन्स का अनुबंध धारा 2(44)के अनुसार कार्य संविदा है एवम् धारा 2(35)(ii) के

अनुसार **transfer of property in goods** के अनुसार बिक्री में सम्मिलित योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि जांच के दौरान पाया गया है कि कम्पनी द्वारा माईन्स की ड्रिलिंग का कार्य (HZL)की मशीनों द्वारा किया जाता है एवं खुदाई का ठेका **technical construction ltd.** .को दिया हुआ है एवं अपीलार्थी अर्थात् Atlas Copco India द्वारा ड्रिलिंग के लिये प्रयुक्त ड्रिल मशीनों का रखरखाव मात्र किया जाता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी कम्पनी के पास ड्रिल मशीनों के **repair and maintainence** का ठेका है एवं (HZL)द्वारा काम में ली जाने वाली ड्रील मशीनों के **repair and maintainence** में स्पेयर्स पार्टस लगाये जाते है। इस तरह अपीलार्थी की संविदा अनुसार जो स्पयेर पार्ट्स (HZL) की मशीनों में लागाये जाते हैं वे पूर्णतया **transfer of property** है जिसके मूल्य पर करारोपण किया जाना विधिसम्मत ही नहीं अनिवार्य है।

पत्रावली पर ऐसा दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि स्पेयर पार्टस् **free of cost** देना बताये। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध Ref.HZLPRO/contract/Kayad/mine/0.29 दिनांक 12.07.2013 पेश किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें कलम से (Free of Cost supply agreement) लिखा है जबकि यह supply order of machine है न कि कोई स्पेयर पार्टर्स को FOC आधार पर देने का है। यह समस्त स्पेयर पार्ट्स राज्य के बाहर से आयात किये गये है जो कर योग्य माल, जिसका हस्तानान्तरण अपीलार्थी ने हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड को किया गया है, कर योग्य माल होने से कर देयता स्वतः ही बनती है ।

प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी कम्पनी के पास ड्रिल करने का काई ठेका नहीं है बल्कि (HZL) के पास उपलंब्ध ड्रिल मशीनों के **repair and maintainence** का ठेका है। इस कार्य में विभिन्न पार्ट्स अपीलार्थी द्वारा मशीनों की आवश्यकतानुसार लगाये जाते हैं जो माल का अन्तरण है जिस पर स्पष्ट रूप से कर देयता है।

अपीलार्थी द्वारा माल का **consumable** बताना पूर्णतया मिथ्या है क्योंकि रखरखाव की संविदा में जो पार्ट्स लगाये जा रहे हैं वे **supply** हैं न कि **consumable**। उल्लेखनीय है कि ड्रिल मशीन **HZL** की सम्पति है एवम् उन्हीं के द्वारा ऑपरेट की

जाती है। HZL द्वारा संविदा चार्जेज के भुगतान के लिये यह तरीका दिया गया है कि प्रति मीटर आपरेशन पर विशिष्ट राशि दी जायेगी अर्थात् संविदा के तहत् भुगतान को तय करने का आधार मशीनों की प्रति घंटा या प्रति मीटर कार्य करने के आधार पर है।

अपीलार्थी द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जो माल को **free of cost** देना बाध्यकारी बताये। अपीलार्थी द्वारा अंतरित माल की कीमत बतायी गयी है तब यह माल **free of cost** कैसे हुआ, यह बताने में पूर्णतया असफल रहें हैं। इस तरह प्रकरण में मूल प्रश्न कि क्या अपीलार्थी द्वारा विभिन्न वर्षों में **HZL** की मशीनों के **repair and maintenance** में सप्लायी किये गये या प्रयुक्त किये गये माल **spare parts** एवम् अन्य कर योग्य हैं अथवा नहीं का उत्तर दस्तावेजों से स्पष्ट है:–

प्रथमतः अपीलार्थी एवम् **HZL** के बीच सभी अनुबंध **repair and maintenance of** मशीन के हैं। **Atlas Copco** जो मूलतः स्वीडन की कम्पनी है उसके द्वारा ड्रिल मशीन **HZL** को सप्लायी की गयी है। सप्लायी की गयी ड्रिल मशीनों के हस्तांतरण के बाद उसका **Operation** स्वयं **HZL** द्वारा ही किया जाता है। इन ड्रिल मशीनों के रखरखाव **repair and maintenance** का कार्य स्वीडन की भारतीय सब्सीडरी कम्पनी अपीलार्थी कम्पनी द्वारा करने का क्लॉज था उसके अनुसार अपीलार्थी कम्पनी **repair and maintenance** करती है। ड्रिल मशीन **HZL** द्वारा माइन्स में काम में ली जाती है। मशीनों के कार्य में आने पर टूटफूट पर मरम्मत एवम् रखरखाव अपीलार्थी कम्पनी करती है। अपीलार्थी को ड्रिलिंग का कोई कार्य नहीं है बल्कि केवल **repair and maintenance of machines** का कार्य है। इस दौरान पार्ट्स या अन्य सामान जो मशीनों में लगाया जाता है वे **moveable goods** की **supply to machines** है या संविदा में **transfer of property** कहा जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अनुबंधों में दिये गये **scope of work** एवम् शर्तों में बहुत स्पष्ट है । इस तरह अपीलार्थी द्वारा जो माल की **value** दर्शायी है वह न तो **free of cost** है न ही **consumable** है बल्कि स्पष्टतया माल का विक्रय 2(35)(ii) के अनुरूप है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संविदा में अन्तरित माल पर जो करारोपण किया है वह पूर्णतः विधिसम्मत है।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2013–14 में रू.32,52,946/– की खरीद को वैट–07 में नहीं दर्शाने के मामले में अपीलीय आकिारी के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया

गया है। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने उसे यथावत रखा है अतः उस पर किया गया करारोपण यथावत रखा जाता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने कोई औचित्य नहीं समझती है। फलस्वरूप कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

जहां तक अधिनियम की धारा 61 (1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति का प्रश्न है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त संव्यवहारों को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बहियात में दर्ज किया है और उनको विवरण पत्रों में दर्शाया है ओर कोई संव्यवहार छुपाने का कार्य नहीं किया है। अपीलार्थी का यह मानना था कि रिपेयरिंग के कार्य में जो माल अनुबन्ध में तहत अन्तरित किया गया है consumable माना जाने योग्य है और इसी धारणा से उसने कर नहीं दिया है परन्तु यह तथ्य साफ तौर पर रिटर्न में दर्शाया है । माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टांत (2009) 11 वेट रिपोर्टर 159 के प्रकाश में किसी तथ्यों के नहीं छुपाने या deliberately गलत तथ्य अंकित करना नहीं होने से अधिनियम की धारा 61 में शास्ति आरोपित करना न्यायसंगत नहीं है अतः सभी प्रकरणों में धारा 61 में आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है। फलतः शास्ति के बिन्दु पर विभाग की ओर से प्रस्तत की गई अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी एवं विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदल लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष